

रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BILASPUR

भारत सरकार : रेल मंत्रालय

Govt.of India (Ministry of Railways) Phone:07752-417742, Fax: 07752-417742



क्रमांक: रेभबो/बिलासपुर/03-2024/चिकित्सा/अनिफट/223

दिनांक: 08.10.2025

केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना संख्या - 02/2024 (तकनीशियन -III) लेवल-2 के पदों हेतु रेलवे चिकित्सालयों के द्वारा निर्धारित चिकित्सा श्रेणी मे अनिफ़ट घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची एवं पुन: चिकित्सा जाँच हेतु अपील के लिए अवसर प्रदान करने की सूचना

रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना संख्या 02/2024 (तकनीशियन-III) लेवल-2 के पदों हेतु दिनांक 11.09.2025 एवं ब्लॉक तिथि 24.09.2025 को उम्मीदवारों के दस्तावेज़ सत्यापन के उपरांत उन्हें निर्धारित चिकित्सा श्रेणी / श्रेणियों में चिकित्सा परीक्षण के लिए मंडल चिकित्सालयों में भेजा गया था। निर्धारित चिकित्सा मानक अर्थात B-1 के लिए अनफ़िट घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जारी है।

Level	Roll No	Medical Fitness
2	302244262130683	C-1

कुल – 1 (एक)

उपर्युक्त सूची में उल्लिखित उम्मीदवारों को B-1 एवं निम्नतर चिकित्सा श्रेणी / श्रेणियों के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया था। अतः उपर्युक्त सूची में सम्मिलित केवल ऐसे उम्मीदवार जिन्हें B-1 चिकित्सा श्रेणी से निम्न चिकित्सा श्रेणी में फिट घोषित किया गया है, वे यदि पुनर्चिकित्सा परीक्षण हेतु अपील करने के इच्छुक हैं, तो वे Annexure-I एवं Annexure-II में निर्दिष्ट प्रारूप में दिनांक 07.11.2025 तक रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो चिकित्सा परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहे हैं या जिन्हें चिकित्सा परीक्षण से डिस्चार्ज किया गया है, वे अपील प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं है। अपील हेतु प्राप्त मामले में प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर की सहमित के आधार पर उम्मीदवार की पुन: जाँच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से चिकित्सा जाँच का प्रावधान किया जाएगा।

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के द्वारा पुन: चिकित्सा जाँच हेतु अनुमत प्रधान मुख्य चिकित्सा परीक्षण में भेजे जाने के पूर्व प्रधान वित्त सलाहकार / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ बिलासपुर उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण में भेजे जाने के पूर्व प्रधान वित्त सलाहकार / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ बिलासपुर (PFA/SECR/Bilaspur) के पक्ष में (in favour of) बिलासपुर में देय (Payable at Bilaspur) रुपए 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड/बिलासपुर

Appeal for Remedical Examination against CEN No. 02/2024(Technician)

To
The Principal Chief Medical Director,
South East Central Railway,
BILASPUR (C.G.) - 495004

(Through Chairman/RRB/Bilaspur)

Sub: Appeal for remedical examination for various level posts of CEN No. 02/2024 (Technician) against unfitness declared by divisional Railway hospitals for posting in Group 'C' category in Railway.

Respected sir,

I am hereby submitting appeal against my unfitness in the prescribed format and humbly request to consider my appeal and give an opportutniy for remedical examination please for which I shall be obliged.

I will submit the requisite charges of remedical examination i.e. Rs.1000/-through DD at the time of sending me for remedical examination at Railway Recruitment Board, Bilaspur.

Encl:- Medical Certificate (Annexure-II).

Place:.....

Name & Signature, Roll Number & Address Contact details.....

Proforma of Medical Certificate

(To be filled by Government / Private Specialist Doctor)

Name of the candidate Shri/Smt/Ku S/o/D/o/W/o	(Father's name). st of medical category
I hereby certify that:-	•
 In the fact that the Unfit for service by the respective of the Government in this behalf. Shri/Smt/Ku	lone are of same person, the reports of my opinion. sted for vision by Landolt's split rigns
(+ struck out if not applicable)	
vision is to be tested by Landolt's Indian Railways guidelines.	e unfit due to defective vision, his/her split rings mounted which is as per
Opinion of the certifying doctor:-	
Candidate's recent photograph with signature of the candidate half on photo and half on outside.	
Signature of the candidate	
2	
	Signature of the certifying Doctor Name of the doctor Specialty Registration Number Date of issue Place of issue Stamp of the certifying Doctor